

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रेड़ी

अनुवान भागा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - ११४/२०२५

निर्णय दिनांक .....०१/०७/२५.....

भाग पत्नी चिमना राम जाति जाट निवासी किलीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रेड़ी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 54 खसरा नं. 817/509 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा नं. 819/796 तादादी 0.2276 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम किलीपुरा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थनी का नाम भागा देवी पत्नी चिमनाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम भागा पत्नी चिमना राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थनी का नाम भागा पत्नी चिमना राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम किलीपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 54 खसरा नं. 817/509 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा नं. 819/796 तादादी 0.2276 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थनी का नाम भागा देवी पत्नी चिमनाराम Delete कर इसके स्थान पर भागा पत्नी चिमना राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०१/०७/२५ को कैम्प कोर्ट रेड़ी में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*(Signature)*  
रजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)